सं0-08/2022/434/23-12-2022-1170/17टीसी

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2022**

विषय:-उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, के लखनऊ मुख्यालय एवं प्रदेश के समस्त 57 जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़े जाने तथा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की (GIGW) आधारित वेबसाइट (uppwd.gov.in) का वार्षिक " सिक्योरिटी ऑडिट" कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-122/एफ-14/वी0का0/कम्प्यू0/2019-20, दिनांक 16.07.2021 तथा पत्रांक सं0-116/एफ0-11A/वेबसाइट/ कम्प्यू0 /19-20, दिनांक 12.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, के लखनऊ मुख्यालय एवं प्रदेश के समस्त 57 जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़े जाने हेतु रू0 86,11,354.00 तथा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की (GIGW) आधारित वेबसाइट (uppwd.gov.in) का वार्षिक " सिक्योरिटी ऑडिट" कराये जाने के कार्यों हेतु रू0 1,88,800.00 अर्थात् कुल रू0 88,00,154.00 (86,11,354.00+1,88,800.00) (रू0 अट्ठासी लाख एक सौ चौवन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 88,00,154.00 की निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

S.No.	Partycular	Cost	CGST Rate (9%)	SCGST Rate (9%)	Total Cost
1	2	3	4	5	6
1	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लखनऊ मुख्यालय एवं प्रदेश के समस्त 57 जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोडे जाने के सम्बन्ध में	72,97,758	6,56,798.22	6,56,798.22	86,11,354
2	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की (जी0आई0जी0डब्लू0) आधारित वेबसाइट (uppwd.gov.in) का वार्षिक "सिक्योरिटी आडिट" कराये जाने के सम्बन्ध में।	1,60,000	14,400.00	14,400.00	1,88,800.00
				Total	**88,00,154.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सभी अद्यतन लागू वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाय।

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्मम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनांक 15.01.2018 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जाय कि क्रय की जा रही वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती हो।

(4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) सामग्रियों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जाय।

(8) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रवर्तित समस्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त् न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूपसे किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय चुनाव आचार संहिता की नियमों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-08/2022/434(1)/23-12-2022तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0वृत्त् लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता कम्प्यूटर सेल, लोक,निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्माण/ प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।